अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

जिला– बोकारो , वाद संख्या 27 / 2013–2014
केस का प्रकार– अमीन मापी

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहीत

17/12/14

आवेदिका अतवा देवी पति– स्व0 खेदु महतो ,मौजा– बुढसेरा पो0– करमाटांड थाना– दुग्दा जिला–बोकारो ने आवेदन पत्र देकर निम्नांकित भूमि का मापी कर सीमांकण कराने का अनुरोध किया है:–

भूमि का विवरण:–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
बुढसेरा	109	33	875	0.52 एकड

हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि प्राप्त आवेदन का जाँच कर जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

17/12/14

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।

28/12/14

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। राजस्व कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा– बुढसेरा,थाना नं0–109,खाता नं0– 33, प्लॉट नं0– 875,कुल रकवा–$2.18\frac{1}{2}$ एकड, सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की भूमि है। पेज सं0 $\frac{72}{4}$ पनु महतो पिता– धनीराम महतो के नाम से वर्ष 2013–14 तक लगान रसीद निर्गत है, सर्वे रकवा के मध्ये रकवा 0.52 ए0 भूमि मापी हेतु अंचल अमीन से प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए मापी शुल्क जमा करा कर भूमि मापी कराया जा सकता है।

28/12/14

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।

28/12/14

अंचल अमीन से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि इसकी मापी में एक दिन का समय लग सकता है

अतः आवेदक को आदेश दिया जाता है कि कुल–01 (एक) दिन का मापी शुल्क अंचल नजारत में जना करें.। तत्पश्चात् सरकारी अमीन को मापी हेतु आदेश निर्गत किया जाएगा।

28/12/14

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक ने अमीन मापी शुल्क 760 जमा किया है। अतः दिनांक [illegible] को मापी की तिथि निर्धारित की जाती है। आदेश निर्गत करें। संबंधित पक्ष को प्रतिलिपि [illegible]।

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।

Digitally signed by Naresh Kumar Verma
Date: 2024.08.20 16:35:22 +05:30
Location: 192.168.1.34